न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14 / 2025
जीसीएमएस नं. 52 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 25.02.2025

सरकार जरिये तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

.....प्रार्थी

बनाम

दाखां बेवा श्योचन्द कौम गुर्जर निवासी प्रधाननगर (थडोली) तह. टोडारायसिंह जिला टोंक (मृतक) जरिये वारिसान–

1. कल्ली देवी पुत्री श्योचन्द जाति गुर्जर निवासी प्रधाननगर (थडोली) तह. टोडारायसिंह जिला टोंक
2. गंगा देवी पुत्री श्योचन्द जाति गुर्जर निवासी प्रधाननगर (थडोली) तह. टोडारायसिंह जिला टोंक
3. छीतरलाल पुत्र श्योचन्द जाति गुर्जर निवासी प्रधाननगर (थडोली) तह. टोडारायसिंह जिला टोंक

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार
(2) श्री मनीष कासलीवाल, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 02/11/26

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि ग्राम थडोली के खसरा नं. 845 / 1015 (नये खसरा नं. 1223 / 845) रकबा 0.50 हैक्टेयर अप्रार्थी दाखां बेवा श्योचन्द कौम गुर्जर निवासी प्रधाननगर (थडोली) तह. टोडारायसिह जिला टोंक को दिनांक 24.11.2010 को आवंटित हुई थी व नामान्तरकरण संख्या 533 दिनांक 12.02.2011 से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। उक्त आवंटन की शर्तों की पालना नहीं होना बताते हुए आवंटन को निरस्त किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। राजकीय पेरोकार व अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

राजकीय पेरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी दाखां बेवा श्योचन्द कौम गुर्जर निवासी प्रधाननगर (थडोली) तह. टोडारायसिंह जिला टोंक को दिनांक 24.11.2010 को ग्राम थडोली के खसरा नं. 845 / 1015 (नये खसरा नं. 1223 / 845) रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि आवंटित हुई थी व नामान्तरकरण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

संख्या 533 दिनांक 12.02.2011 से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। उक्त आराजी के नवीन प्रबन्ध 2050 में नये खसरा नं. 1223/845 हुए है। उक्त आवंटन राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत किया गया है जिसके तहत आवंटी को आवंटन पश्चात् आवंटन शर्तों की पालना करना आवश्यक है। आवंटी विपक्षी ने उक्त भूमि को आवंटन के पश्चात कभी काश्त नहीं किया जबकि आवंटन नियमों के अनुसार नियम 14 (3) के अनुसार प्रथम वर्ष में 1/2 भूमि एवं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त करना आवश्यक होता है। इस प्रकार अप्रार्थी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। प्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी का मौके पर आवंटन से लेकर अब तक कब्जा काश्त नहीं रहा है। मौके पर भूमि पडत पडी हुई है। रहन एवं बेचान आदि नहीं हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि ग्राम थडोली के खसरा नं. 845/1015 (नये खसरा नं. 1223/845) रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि का अप्रार्थी दाखां बेवा श्योचन्द को किया गया आवंटन निरस्त करने की कृपा करें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने राजकीय पेरोकार की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि अप्रार्थी दाखां बेवा श्योचन्द कौम गुर्जर निवासी प्रधाननगर (थडोली) तह. टोडारायसिंह को किया गया आवंटन विधिसम्मत हैं एवं आवंटन के पश्चात् समस्त शर्तों की अप्रार्थी द्वारा पालना की गई है। अप्रार्थी ने विवादित भूमि का आवंटन न तो तथ्यों को छुपाते हुए प्राप्त किया है और ना ही आवंटन नियमों के किसी नियम की अवहेलना की है। उक्त भूमि आवंटी द्वारा आवंटन के बाद से लगातार काश्त की जा रही थी। आवंटी की मृत्यु दिनांक 11.08.2021 को हो चुकी है तथा आवंटी की मृत्यु के पश्चात् वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जा चुका है तथा अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर कब्जा काश्त किया जा रहा है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2080, 2081 व 2082 में खसरा नं. 1223/845 पर काश्तकार के रूप में अप्रार्थीगण का ही नाम अंकित है जो कि विवादित भूमि पर कब्जे की पुष्टि करता है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है, निराधार एवं वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन) नियम 1970 भूमिहीन गरीब काश्तकारों के कल्याण हेत भूमि आवंटित किए जाने का नियम है जिसे मात्र कब्जा नहीं होने के कथन के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन विधिसम्मत होने एवं आवंटन नियमों की पूर्ण पालना किए जाने से तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अभिभाषक ने अपने कथनों की पुष्टि में नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2080, 2081 व 2082 तथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 पेश की है।

हमने राजकीय पेरोकार एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, आवंटन पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया। अवलोकन से पत्रावली से स्पष्ट होता हैं कि ग्राम थडोली के खसरा नं. 845/1015 (नये खसरा नं.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

1223/845) रकबा 0.50 हैक्टेयर अप्रार्थी दाखां बेवा श्योचन्द कौम गुर्जर निवासी प्रधाननगर (थडोली) तह. टोडारायसिंह जिला टोंक को दिनांक 24.11.2010 को आवंटित हुई थी व नामान्तरकरण संख्या 533 दिनांक 12.02.2011 से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। आवंटी की मृत्यु दिनांक 11.08.2021 को हो जाने से वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो गया है। पेरोकार का कथन हैं कि आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। आवंटी का मौके पर आवंटन से लेकर अब तक कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसी आधार पर आवंटन निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है परन्तु तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे आवंटी का कब्जा नहीं होना सिद्ध होता हो। इसके विपरित अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2080, 2081 व 2082 तथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में काश्तकार के रूप में अप्रार्थीगण का नाम है जिससे स्पष्ट होता हैं कि विवादित भूमि पर आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। यदि किसी वर्ष कब्जा नहीं भी रहा हो तो मात्र छोटे–मोटे कारणों से आवंटन को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन) नियम 1970 समाज के गरीब, भूमिहीन काश्तकरों के कल्याण एवं काश्त हेतु भूमि आवंटित किए जाने के नियम बनाए गए है जिसका उद्देश्य ऐसे भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटन द्वारा सशक्त बनाना है। इसमें आवंटी द्वारा किसी वर्ष किसी कारण से शर्त का उल्लंघन करने मात्र से किया गया आवंटन निरस्त करना उक्त आवंटन नियम के उद्देश्य के विपरित है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन से स्पष्ट हैं कि आवंटी दाखां बेवा श्योचन्द कौम गुर्जर निवासी प्रधाननगर (थडोली) तह. टोडारायसिंह जिला टोंक को दिनांक 24.11.2010 को ग्राम थडोली के खसरा नं. 845/1015 (नये खसरा नं. 1223/845) रकबा 0.50 हैक्टेयर का किया गया आवंटन सही एवं उचित प्रतीत होता है। उक्त आवंटन को निरस्त करना सरकार के भू–आवंटन नियम 1970 के कल्याणकारी उद्देश्य के विपरीत होगा।

फलतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर आवंटी दाखां बेवा श्योचन्द कौम गुर्जर निवासी प्रधाननगर (थडोली) तह. टोडारायसिंह जिला टोंक को दिनांक 24.11.2010 को ग्राम थडोली के खसरा नं. 845/1015 (नये खसरा नं. 1223/845) रकबा 0.50 हैक्टेयर का किया गया आवंटन यथावज रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02/11/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सोकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक